

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 420] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1970/कार्तिक 28, 1892

No. 420] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1970/KARTIKA 28, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

ORDER

INCOMETAX

New Delhi, the 18th November 1970

THE TAXATION LAWS (EXTENSION TO UNION TERRITORIES) (REMOVAL OF DIFFICULTIES) ORDER NO. 2 OF 1970

S.O. 3770.—Whereas certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in the Union territories of Dadra and Nagar Haveli, Goa, Daman and Diu and Pondicherry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Taxation Laws (Extension to Union Territories) Regulation, 1963 (3 of 1963), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Taxation Laws (Extension to Union Territories) (Removal of Difficulties) Order No. 2 of 1970.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1963.

2. **Computation of aggregate depreciation allowable and written down value.**—In making any assessment under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), all depreciation actually allowed under the local laws shall be taken into account in computing the aggregate of all deductions in respect of depreciation referred to in clause (i) of sub-section (2) of section 34 and the written down value under sub-clause (2) of clause (6) of section 43 of the said Act:

Provided that where in respect of any asset, depreciation has been allowed for any year both in the assessment made under the local law and in the assessment made under the income-tax Act, 1961, or under the Indian Income-tax Act, 1922 or any Act repealed by that Act, or under the Indian Income-tax Act, 1886, the greater of the two sums allowed shall only be taken into account:

Provided further that where in respect of any period, no depreciation was actually allowed under the local law or the depreciation actually allowed cannot be ascertained, depreciation in respect of that period shall be calculated at the rate for the time being in force under the Income-tax Act, 1961 or under the Indian Income-tax Act, 1922, or any Act repealed by that Act or under any executive orders, issued when the Indian Income-tax Act, 1886 was in force, as the case may be, and the depreciation so calculated shall be deemed to be the depreciation actually allowed under the local law.

Explanation.—For the purposes of this paragraph, “local law” means—

- (i) in relation to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, any law relating to income-tax or super-tax other than the Income-tax Act, 1961, in force in that territory immediately before the 1st day of April, 1963; and
- (ii) in relation to the Union territories of Goa, Daman and Diu and Pondicherry, any law relating to income-tax or super-tax in force in the Union territory concerned immediately before the 1st day of April, 1963.

[No. 181/F. No. 1(345)/68-TPL.]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

आयकर

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1970

कराधान विधियों (संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारण) (कठिनाईयों का निराकरण)

आदेश सं० 2, 1970

का० आ० 3770.—यतः आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 41) के उपबन्धों को दादर और नागर हवेली, गोवा, दमण और दीव और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां पैदा हो गई हैं ;

अतः अब कराधान विधियां (संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारण) विनियम, 1963 (1963 का 3) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह आदेश कराधान विधियां (संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारण) (कठिनाईयों का निराकरण) आदेश संख्या 2, 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) यह अप्रैल, 1963 के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. संकलित अनुज्ञेय अवक्षेपण और अवस्थिति सूचक की संगणना.—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कोई निर्धारण करने में स्थानीय विधियों के अधीन वास्तविक रूप से अनुज्ञान किए गए सब अवक्षेपणों को उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा

(2) के खंड (1) में निर्दिष्ट अवक्षयण की बाबत में संकलित सभी कटौतियों और धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ख) के अधीन अवलिखित मूल्य की संगणना करने में ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु जहां किसी आस्ति की बाबत में किसी वर्ष के लिए, दोनों, किसी स्थानीय विधि के अधीन किए गए निर्धारण में और आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या उस अधिनियम द्वारा निरासित किसी अधिनियम के अधीन या भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 के अधीन किए गए निर्धारण में, अवक्षयण अनुज्ञात किया गया है, तो इन दोनों राशियों में से जो अधिक है उसी को केवल ध्यान में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां किसी कालावधि की बाबत स्थानीय विधि के अधीन कोई अवक्षयण वास्तविक रूप से अनुज्ञात नहीं किया गया था या वास्तविक रूप से अनुज्ञात अवक्षयण अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है वहां उस कालावधि की बाबत अवक्षयण, यथास्थिति आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 या उस अधिनियम द्वारा निरासित किसी अधिनियम के अधीन या जब भारतीय आयकर अधिनियम, 1886 प्रवृत्त था तब जारी किए गए किसी कार्यपालक आदेश के अधीन, तत्समय प्रवृत्त दर पर संगणित किया जाएगा और इस प्रकार संगणित अवक्षयण स्थानीय विधि के अधीन वास्तविक रूप से अनुज्ञात अवक्षयण समझा जाएगा ।

स्प टीकरण.—इस पैरा प्रयोजन के लिए 'स्थानीय विधि' से—

- (i) दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में अप्रैल, 1963 के प्रथम दिन से अव्यवहित पूर्व उस राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त आयकर अधिनियम, 1961 से भिन्न आयकर या अधिकार से संबंधित कोई विधि ; और
- (ii) गोवा, दमण और दीव और पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में अप्रैल, 1963 के प्रथम दिन से अव्यवहित पूर्व सम्बन्धित संघ राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त आयकर या अधिकार से संबंधित कोई विधि । अभिप्रेत है ।

[सं० 181/एफ० सं० 1(345)/68-टी पी एन.]

आर० एन० मुट्टू, अवर सचिव ।

